

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
अन्वय सम्वत् पखवाड़ा-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ...प.ह.म.ता.

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी प.ह.म.ता.
व भू.अ.नि. प.ह.म.ता. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार — / नायब
तहसीलदार प्रियाण की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सौनियाणा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 262/261 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सौनियाणा	262	नाम - <u>शंकर पिता लक्ष</u> जाति - <u>खात्री</u>	नाम - <u>शंकर लाल सुथार</u> पिता <u>लैकलाल</u> जाति - <u>सुथार</u>
2.	सौनियाणा	261	नाम - <u>शंकर पिता लक्ष</u> जाति - <u>खात्री</u>	नाम - <u>शंकर लाल सुथार</u> पिता <u>लैकलाल</u> जाति - <u>सुथार</u>
3.	सौनियाणा	139	नाम - <u>शंकर पिता लक्ष</u> जाति - <u>खात्री</u>	नाम - <u>शंकर लाल सुथार</u> पिता <u>लैकलाल</u> जाति - <u>सुथार</u>

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 344

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री शंकर लाल सुथार को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। शंकर लाल सुथार पिता लैकलाल सुथार

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,